

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 4750/2024
CNR: RJHC020943642024 | URN: CMA / 7760U / 2024

Ankita Daughter Of Babu Lal, Aged About 21 Years, Resident Of
Village Isarda Kabra, Tehsil And District Tonk.

-----Claimant-Appellant

Versus

- Asharam Son Of Shyoji Lal, Resident Of Isarda Kabra, Tehsil And District Tonk (Driver Tractor No. RJ-32-RA-6489).
- Kanhaiya Lal Son Of Baluram, Resident Of Handi Khurd, Post Dardaturki, Tehsil Piplu, District Tonk (Owner Tractor No. RJ-32-RA-6489).
- National Insurance Company Limited, Branch Office At Chandresh Bhawan, Jaipur Road, Chawani Tonk Having Its Regional Office At NBCC Centre, Sahkar Marg, Jyoti Nagar Extension, Jaipur Through Its Regional Manager (Insurer Tractor No. RJ-32-RA-6489).

-----Non-Claimant/Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Vinay Mathur, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vijendra Yadav, Adv. Mr. Vinod Tyagi, Adv. for Insurance Company

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

17/07/2026

- अपीलार्थिया द्वारा यह अपील धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, टोंक (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-463/2021, अंकिता बनाम आशाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 25.06.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
- अपीलार्थिया द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं के आहत हो जाने के फलस्वरूप कुल 1,25,60,000/- रुपये क्लेम प्राप्त

करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याची को **कुल 1,17,945/- रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज **7 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थिया की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थिया का तर्क रहा है विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया की कोई आय निर्धारित नहीं कर आय की क्षति की मद में एकमुश्त राशि दिलवायी जाकर त्रुटि कारित की गई है, जबकि वक्त घटना अपीलार्थिया 12वीं कक्षा में अध्ययनरत होकर कृषि का कार्य कर 15,000/- रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करती थी। दुर्घटना में अपीलार्थिया के दाएं हाथ में गंभीर चोटें कारित हुई हैं, जिनके सामूहिक प्रभाव से उसके शरीर पर कुल 18 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थिया का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में तथा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में कोई राशि नहीं दिलवायी गयी है व अन्य मदों में भी अत्यंत कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थिया की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण के निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थिया की ओर से संस्थित की गयी अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. मामले की दुर्घटना में अपीलार्थिया को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप उसके शरीर पर कुल 18 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थाई निर्योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदर्श-1 के अवलोकन से स्पष्ट है। मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Anant Son of Sidheswar Dukre Vs. Pratap son of Zhampannappa Lamzane & Anr.**

reported in **(2018) 9 Supreme Court Cases 450**, में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :-

"12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries."

"13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd. explained "just compensation" in the following words:"

"15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a "just compensation". It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of "just compensation" obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field."

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 22.07.2021 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थिया को 12वीं कक्षा में अध्ययनरत होकर कृषि का कार्य कर 15,000/- रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है। किंतु अपीलार्थिया द्वारा अपनी आय का कोई ठोस प्रमाण विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया की कोई आय निर्धारित नहीं कर आय की क्षति की मद में एकमुश्त राशि दिलवायी गयी है। जबकि यह सुस्थापित विधि है कि जिन मामलों में आहत की आय प्रमाणित नहीं हो,

वहां उसे दैनिक वेतन भोगी मजदूर की श्रेणी में रखा जाकर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से ही उसकी आय निर्धारित की जाएगी। वक्त घटना अपीलार्थिया को कृषि का कार्य करना बताया गया है। इन परिस्थितियों में यह न्यायालय, अपीलार्थिया के कार्य की प्रकृति व घटना की तिथि 22.07.2021 को दृष्टिगत रखते हुए, वक्त घटना अपीलार्थिया को अकुशल श्रमिक होना मानते हुए तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर उसकी दैनिक आय 259/- रुपये, तदनुसार **मासिक आय $259 \times 30 = 7,770$ /- रुपये** निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। वक्त घटना अपीलार्थिया की आयु 18 वर्ष बतायी गई है। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थिया की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी निर्धारित मासिक आय 7,770/- रुपये पर भविष्य प्रत्याशा की मद में **40 प्रतिशत (3,108/- रुपये)** की बढ़ोतरी को निर्धारित मासिक आय में जोड़ने के उपरांत अपीलार्थिया की **कुल शुद्ध मासिक आय 10,878/- रुपये** होती है जो क्षतिपूर्ति निर्धारण का आधार रहेगी।

8. हस्तगत दुर्घटना में अपीलार्थिया के दाएं हाथ में गंभीर चोटें कारित हुई हैं, जिसके फलस्वरूप अपीलार्थिया के हाथ की तीन उंगलियां व हथेली कट गई। दुर्घटना में आई चोटों के कारण अपीलार्थिया के शरीर में कुल 18 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। विद्वान अधिकरण ने अपीलार्थिया की 18 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता के आधार पर आय की क्षति भी 18 प्रतिशत ही मानी है। अतः अपीलार्थिया को 18 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता होने के आधार पर हम भी अपीलार्थिया को आय की क्षति 18 प्रतिशत होना पाते हैं। तदनुसार अपीलार्थिया की मासिक आय 10,878/- रुपये का 18 प्रतिशत **1,958/- रुपये** होता है जो अपीलार्थिया को भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है। वक्त घटना अपीलार्थिया की आयु 15 से 20 वर्ष के मध्य होना जाहिर है, जिसका खण्डन नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित

सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थिया को भविष्य में होने वाली आय की क्षतिपूर्ति की गणना हेतु अपीलार्थिया की आयु को दृष्टिगत रखते हुए **18 का गुणक** लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार अपीलार्थिया को भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति **1,958 x 12 x 18 = 4,22,928/- रुपये** होती है जो अपीलार्थिया प्राप्त करने की अधिकारी है।

9. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को मेडिकल बिलों की मद में 14,445/- रुपये की राशि दिलवाई गई है, जिसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

10. विद्वान अधिकरण अपीलार्थिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा में कमी की मद में कोई राशि नहीं दिलवायी गयी है। अतः हम अपीलार्थिया को उक्त दोनों मदों में संयुक्त रूप से 80,000/- रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को पौष्टिक आहार व परिवहन व्यय की मद में कोई राशि नहीं दिलवायी गयी है। अतः हम अपीलार्थिया को उक्त दोनों मदों में संयुक्त रूप से 25,000/- रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य में अपीलार्थिया के विवाह में आने वाली कठिनाईयों की मद में कोई राशि अपीलार्थिया को नहीं दिलवाई गई है। अपीलार्थिया का हाथ थ्रेसर मशीन में आने के कारण अपीलार्थिया के दाएं हाथ की हथेली व उंगलियां कुचली जा चुकी हैं व छोटी उंगली कट गई है। ऐसे में भविष्य में अपीलार्थिया के विवाह की संभावनाओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मद में हम, अपीलार्थिया को 1,50,000/- रुपये की राशि पृथक से दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

13. दौराने इलाज अपीलार्थिया 5 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रही है। अतः हम अपीलार्थिया को 600/- रुपये प्रतिदिन की दर से कुल 5 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में 3,000/- रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

14. उक्तानुसार अपीलार्थिया/क्लेमेंट निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी है :-

क्रम संख्या	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	भविष्य में होने वाली आय अर्जन की क्षमता में कमी के मद में	4,22,928 /- रुपये
2.	मेडिकल बिलों की मद में	14,445 /- रुपये
3.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा में कमी की मद में	80,000 /- रुपये
4.	पौष्टिक आहार तथा परिवहन एवं यातायात पर व्यय हुई राशि के मद में	25,000 /- रुपये
5.	विवाह की संभावनाओं की मद में	1,50,000 /- रुपये
6.	5 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	3,000 /- रुपये
7.	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि	6,95,373 /- रुपये
8.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	1,17,945 /- रुपये
9.	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	5,77,428 /- रुपये

15. तदनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा कि अपीलार्थिया/क्लेमेंट को **1,17,945/- रुपये** दिलवाये जाने का निर्णय पारित किया गया है, के स्थान पर **6,95,373/- रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थिया द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थिया प्राप्त करने की अधिकारी पायी जाती हैं।

16. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थिया, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने की अधिकारी है।

17. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

18. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J